ग्राम पंचायत बड़ाग्रां, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग–एक

1 (क) प्रस्तावनाः–

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एंव उप सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या PCH-HC-5C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04. 2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत बड़ाग्रां, विकास खंण्ड बैजनाथ, जिला कागडा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः–

प्रधानः–

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्रीमती सरला देवी	1.4.14 से 22.1.16
2	श्री मंगत राम	23.1.16 से 31.3.17

सचिव

क्रमांक	नाम	अवधि
1	संजय कुमार	1.4.2014 से 31.3.2017

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत बड़ाग्रां, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	राशि (लाखों में)
1	रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण रोकड़ बही तथा बैंक खातों में भारी अन्तर	5	2.57
2	अनुदान राशियों का अवरोधन	9	12.25
3	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	10	2.52

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत बड़ाग्रां, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री केवल सिंह अनुभाग अधिकारी तथा श्री पवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 20.2.18 से 23.2.18 तक ग्राम पंचायत बड़ाग्रां के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 08/2014, 12/2015, 06/2016 व 10/2014, 01/2016, 01/2017 का चयन के किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के निरीक्षण अधिकारी द्वराा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत बड़ाग्रां, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–09 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 64, दिनांक 23.2.18 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत बड़ाग्रां से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत बड़ाग्रां द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.14 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

स्वः स्त्रोत व अनुदानः–

ग्राम पंचायत बड़ाग्रां के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक स्वः स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1 व 2** में भी दिया गया है।

स्वः स्त्रोतः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	232807	34907	267714	11493	256221
2015–16	256221	121198	377419	12110	365309
2016–17	365309	73811	439120	187019	252101

अनुदान :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	107610	3580411	3688021	3236268	451753
2015–16	451753	2423909	2875662	2702973	172689
2016–17	172689	2755776	2928465	1702779	1225686
				कुल योग	**1477787**

दिनांक 31.3.2017 को बैंक में जमा राशि का विवरणः–

क्र0सं0	बैंक का नाम	खाता सं0	जमा राशि
1	पी0एन0बी0 मुलथान	245800100049573	115024
2	के0सी0सी0 बैजनाथ	20016005275	1620058
3	हस्तगत राशि		00.00
		कुल योग	**1735082.00**

अन्तरः– ₹1735082–1477787=₹257295

5 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹2.57 लाख का भारी अन्तरः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत बड़ाग्रां द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹257295 (विस्तृत ब्यौरा पैरा 4 में है) का अन्तर बैंक में अधिक शेष के रूप में है

जिसका अतिशीघ्र मिलान किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बहियों को बैंक, खातो के साथ प्रतिमाह मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करनाः–

6.1 लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही के प्रतिदिन हुए लेन देन की प्रविष्टियों के उपरान्त बन्द करते हुए अन्तशेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त व वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (2 व 3) के अनुसार पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत, बड़ाग्रां में रोकड़ बही के रख रखाव में इन नियमों की अनुपालना नहीं की गई है। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 वर्गीकृत सार का तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए एक आय व एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक माह के लिए अलग पन्ने पर प्रत्येक आय व व्यय के लेन देनों के लिए अलग–अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। ग्राम पंचायत बड़ग्रां द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत में आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ नहीं किया जा सका। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

6.3 मनरेगा अनुदान की रोकड़ बही तैयार न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत बड़ाग्रां द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के अनुसार फार्मः 14 में सामान्य नियमानुसार रोकड़ बही तैयार करना अनिवार्य है। पंचायत द्वारा सामान्य रोकड़ बही तो तैयार की गई है, परन्तु मनरेगा की रोकड़ बही तैयार नहीं की जा रही है व आय व्यय विवरणी ऑनलाईन रिकार्ड से तैयार की गई जिससे कि न केवल आय–व्यय

विवरण तैयार करने में मुश्किल आई परन्तु इसमें अतिरिक्त समय कि बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए नियमानुसार मनरेगा रोकड़ बही तैयार करनी सुनिश्चित की जाए।

7 पंचायत राजस्व ₹0.07 लाख वसूली हेतु शेषः–

ग्राम पंचायत बड़ाग्रां की गृह कर शुल्क की दिनांक 31.3.17 तक बकाया राशि का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	परिवारों की सं0	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	बकाया राशि
2014–15	257@40	1215	10280	11495	8560	2935
2015–16	268@40	2935	10720	13655	9240	4415
2016–17	275@50	4415	13750	18165	11295	6870

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाये।

8 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप–11 में पंचायत के आय तथा व्यय के प्राक्कलन को तैयार करके ग्राम सभा में पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 अनुदान ₹12.25 लाख का अवरोधनः–

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–1 व 2** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.17 तक अनुदान से प्राप्त राशियों में से ₹1225686 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को

स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹2.52 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। चयनित मास के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹252645 के स्टॉक का क्रय औपचारिकताऐं पूर्ण किये बिना किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ लिया जा सके। इसके अतिरिक्त उक्त क्रय किए गए स्टॉक/स्टोर का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज करना व उपयोग लेखा तैयार किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

11 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 सें 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था जोकि अनियति व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाएं रजिस्टरों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1 स्टॉक रजिस्टर

2 चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर

3 जल प्रभार रजिस्टर

4 भवनों व दुकानों के किराए से सम्बन्धिज रजिस्टर

5 अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय का रजिस्टर

6 अनुदान प्राप्ति से सम्बन्धित रजिस्टर

7 डाक टिकट रजिस्टर

8 निर्माण कार्यों का रजिस्टर इत्यादि

12 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार न तो स्थाई या अस्थाई भण्डार का पुस्तको में इन्द्राज किया गया है तथा न ही सत्यापन किया गया है जिसके बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 विविध अनियमितताऐंः–

13.1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (क्ति, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (ए) (1) के अन्तर्गत अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही है।

13.2 निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर, बिक्रीकर, लेंबर सेस तथा रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।

13.3 पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62 (1) के अन्तर्गत सिटिंग फीस का भुगतान किया जाता है। ग्राम पंचायत में इस फीस के भुगतान से सम्बन्धित बिलों की जाँच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजिरी रजिस्टर विवरण के बिना ही कर दिया गया है जिसके बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है।

15 **निष्कर्षः–** लेखाओं के रख रखाव में सुधार की अधिक आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)198/2018 खण्ड–1– 5036–5039 दिनांक 26.07.18 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत बड़ाग्रां, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881